



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 25 अगस्त, 2025

भाद्रपद 3, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)

संख्या 16/2025/623/सात-न्याय-2-2025-42जी-2025

लखनऊ, 25 अगस्त, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0आ0-154

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 (अधिनियम संख्या 12 सन् 1887) की धारा 4, 13 और 14 और प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 (अधिनियम संख्या 9 सन् 1887) की धारा 5 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परामर्श से जिला कन्नौज में तहसील छिबरामऊ स्थित विद्यमान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को जिला कन्नौज में तहसील छिबरामऊ के सिविल वादों की सुनवाई करने और न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमायें एवं बैठने का स्थान निर्धारित करने हेतु सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) की शक्तियाँ उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रदान करते हैं और अग्रतर राज्यपाल समय-समय पर यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या ए-1104/सात-710/53, दिनांक 12 अप्रैल, 1956 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

(एक) विद्यमान क्रम संख्या-104 क के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

क्रम संख्या	न्यायालय	अधिकारिता की सीमाएं सृजित करने वाले राजस्व क्षेत्र	स्थान या बैठने का स्थान	संयुक्त कार्यालय	नाम
1	2	3	4	5	6
104-क	सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन)	जिला कन्नौज में तहसील छिबरामऊ के राजस्व क्षेत्र को अपवर्जित कर जिला- कन्नौज का सम्पूर्ण राजस्व क्षेत्र	कन्नौज	न्यायाधीश लघुवाद न्यायालय	सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन), कन्नौज

(दो) क्रम संख्या-104-क की प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित नयी प्रविष्टि 104-ख स्तम्भवार बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-

क्रम संख्या	न्यायालय	अधिकारिता की सीमाएं सृजित करने वाले राजस्व क्षेत्र	स्थान या बैठने का स्थान	संयुक्त कार्यालय	नाम
1	2	3	4	5	6
104-ख	सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन)	जिला कन्नौज में तहसील छिबरामऊ का सम्पूर्ण राजस्व क्षेत्र	छिबरामऊ	—	सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन), छिबरामऊ, जिला कन्नौज

आज्ञा से,
विनोद सिंह रावत,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 16/2025/623/VII-Nyaya-2-2025-42G-2025, dated August 25, 2025 :

No. 16/2025/623/VII-Nyaya-2-2025-42G-2025

Dated Lucknow, August 25, 2025

IN exercise of the powers under Sections 4, 13 and 14 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887 (Act no. XII of 1887) and Section 5 of the Provincial Small Cause Courts Act, 1887 (Act no. IX of 1887) read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. X of 1897), the Governor, in consultation with the High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to confer the power of Civil Judge (Senior Division) to hear the civil cases of tehsil Chhibramau, in district Kannauj upon the existing Court of Additional Chief Judicial Magistrate at tehsil Chhibramau, in district Kannauj with effect from the date of taking over charge by the Presiding Officer of that Court and to fix the local limits of the jurisdiction and the place of sitting of the Court and the Governor is further pleased to make following amendments in Government Notification no. A-1104/VII-710/53 dated April 12, 1956, as amended from time to time: –

AMENDMENT

In the Schedule to the aforesaid Notification,—

(i) for the existing entry at serial no. 104-A, the following entries shall column-wise be substituted, namely: –

Sl. No.	Court	Revenue areas forming limits of jurisdiction	Place or Places of sitting	Combined offices	Title
1	2	3	4	5	6
104-A	Civil judge (Senior Division)	Entire revenue areas of district- Kannauj, excluding the revenue area of tehsil- Chhibramau in the district Kannauj	Kannauj	Judge small causes court	Civil judge (Senior Division), Kannauj

(ii) *after* entry at serial no. 104-A, the following new entries 104-B shall column-wise be *inserted*, namely: –

Sl. No.	Court	Revenue areas forming limits of jurisdiction	Place or Places of sitting	Combined offices	Title
1	2	3	4	5	6
104-B	Civil judge (Senior Division)	Entire revenue areas of tehsil-Chhibramau in the district Kannauj	Chhibramau	--	Civil judge (Senior Division), Chhibramau in the district Kannauj

By order,
VINOD SINGH RAWAT,
Pramukh Sachiv.